निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1934 (शo)

(सं0 पटना 180) पटना, मंगलवार, 5 मार्च 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

31 जनवरी 2013

सं0 22/नि0सि0(वीर0)–07–05/2007/131––श्री ईश्वर सहाय राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं0–2, वीरपुर सुपौल के विरूद्व उनके पदस्थापन के दौरान वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में समविकास योजना के तहत निर्मित सात अद्द स्लूइस गेटों के कार्य की जांच उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षा में सक्षमता से बाहर जाकर निविदा निष्पादन का कार्य करने, संरचनाओं का निर्माण विशिष्टि के अनुरूप नहीं कराने एवं गुणवता की जांच कराये बगैर ही भुगतान करने के लिए प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री राम से विभागीय पत्र सं0–325 दिनांक 19.2.10 से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाया गयाः–

(1) वित्त विभाग के संकल्प सं0–3828 दिनांक 12.6.06 के कंडिका–2 में समविकास योजना के अन्तर्गत 50 लाख रूपये तक के तकनीकी स्वीकृति हेतु कार्यपालक अभियन्ता को शक्ति प्रदत्त है, परन्तु अन्य मामले में लोक निर्माण संहिता के प्रावधान लागू रहेंगे। लोक निर्माण विभाग संहिता के अन्तर्गत ज्ञापांक 2676 दिनांक 15.5.05 द्वारा पुनरीक्षित कंडिका–294 के तहत कार्यपालक अभियन्ता को मात्र 3.50 लाख रूपये तक ही निविदा निष्पादन की शक्ति प्रदत्त है,जबकि श्री राम द्वारा 3.50 लाख रूपये से ज्यादा का निविदा निष्पादन विभागीय नियमों के विपरीत किया गया है जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

(2) समविकास योजना अन्तर्गत निर्माण किये गये स्लूईस गेटों का कार्य की जांच आई0 आर0 आई0, खगौल के द्वारा की गयी एवं कार्य को विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाया गया।

उक्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री राम, कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति के तहत विभागीय संकल्प सं0–1381 दिनांक 14.9.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभाग एवं सरकार के स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षा में श्री राम के विरूद्व दोनों आरोप प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री राम से विभागीय पत्रांक 1259 दिनांक 12.10.11 द्वारा असहमति के विन्दुओं पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा विभाग एवं सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि कार्यपालक अभियन्ता को

मुख्य अभियन्ता, वीरपुर द्वारा राष्ट्रीय समविकास योजना के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद श्री राम द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निविदा निस्तार की कार्रवाई की गयी है। अतः उक्त आरोप सं0–1 प्रमाणित पाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार द्वारा निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः–

1. निन्दन वर्ष 2006–07
2. संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री ईश्वर सहायक राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड दिया जाता हैः–

1. निन्दन वर्ष 2006–07
2. संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्वि पर रोक।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त है।

उक्त दण्डादेश श्री राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जे0 एन0 पी0 सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 180-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in